न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 110 / 2017

जसविन्द्र कौर पत्नी भूपेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी चक 31 आर.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. दर्शनसिंह
2. प्रशनसिंह
3. प्रगटसिंह

पिसरान भजनसिंह जाति जटसिख निवासी 31 आर.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

4. बलवीरसिंह पुत्र भजनसिंह (मृतक)
   4/1 सुरजीत कौर पत्नी बलवीरसिंह
   4/2 गुरमीतसिंह पुत्र बलवीरसिंह
   4/3 सुखवीरसिंह पुत्र बलवीरसिह
5. छिन्द्रसिंह पुत्र भजनसिंह

जाति जटसिख निवासी 31 आर.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

6. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पदमपुर। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी पदमपुर दिनांक 26.06.2016

उपस्थितिः—

श्री गुरविन्द्रसिंह अभिभाषक अपीलार्थी

श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक रेस्पों. सं. 1

श्री अमनदीपसिंह अभिभाषक रेस्पों. सं. 2 से 5

श्री महावीर धारणीया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 16.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी दर्शनसिंह/रेस्पों. सं. 1 ने जरिये मु.आम गुरविन्द्रसिंह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के समक्ष एक प्रा.पत्र

अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि गांव 31 आर.बी. तृतीय के खाता सं. 36/34 मु.नं. 21 के बीघा नं. 2, 3, 4, 5 सरकारी खाला के साथ चिपता ही प्रत्येक में 0.013है0 रास्ता मंजूर किया जावे। दिनांक 20.06.2016 को प्रार्थी दर्शनसिंह जरिये मु.खास गुरविन्द्र सिंह द्वारा आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश कर निवेदन किया कि धारा 251ए आर.टी.ए. के प्रा.पत्र के अनुतोष में गांव 31 आर.बी. तृतीय के खाता संख्या 36/34 के मु.नं. 21 के बीघा नं. 2, 3, 4, 5 सरकारी खाला के साथ चिपता ही प्रत्येक में 0.013है0 की जगह संशोधन किया जाकर गांव 31 आर.बी.तृतीय के खाता सं. 36/34 के मु.नं. 21 के बीघा नं. 2, 3, 4, 5 सरकारी खाला के साथ चिपता ही प्रत्येक 0.013है0 उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम व खाता सं. 33/37 के मु.नं. 20 के बीघा नं. 1 के उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम में एक बिस्वा अर्थात 0.013है0 रास्ता मंजूर किया जावे।

अधि. न्यायालय ने पक्षकारों को सुनने के उपरांत दिनांक 20.06.2016 को प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के अनुसार चक 31 आर.बी. तृतीय के मु.नं. 21 के कि.नं. 2, 3, 4 ,5 में 1–1 बिस्वा व मु.नं. 20 के कि.नं. 1 मे 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर रास्ता की एवज में कोई प्रतिफल नहीं देने के आदेश दिये। उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा बिना किसी जांच के व बिना पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है। अपीलार्थी द्वारा जरिये रजि0 बैयनामा दिनांक 09.03.2009 को रेस्पों. सं. 2 ता 5 से चक 31 आर.बी.तृतीय के खाता सं. 34 मु.नं. 21 के कि.नं. 5 की 0.227है0, कि.नं. 6 की 0.253है0 व 15 की 0.215है0, 16 की 0.139है0 व कि.नं. 25 की 0.063है0 कुल 0.898है0 नहरी खरीदकर कब्जा प्राप्त किया हुआ है तथा अपीलार्थी का खरीद के रोज से लगातार उक्त रकबा पर कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट को उक्त निर्णय का सर्वप्रथम ज्ञान पटवारी हल्का से हुआ। अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर

16/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी इस हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश की है। अपीलार्थी हितबद्ध पक्षकार है अतः अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अतः निवेदन है कि उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों को स्वीकार कर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है इसमें किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं है। अधी. न्यायालय ने पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर ही आदेश पारित किया है। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ दफा 5 व धारा 96 सीपीसी के प्रा.पत्र पेश किये जिसमें समुचित कारण अंकित नहीं किये हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील रेस्पों ने आर.आर.टी 2016–17(Supp.) पेज 714 की नजीर पेश की।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है जिसका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश नहीं किया है। अतः न्यायहित में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। जिसका खण्डन रेस्पों द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र नहीं किया है। अतः न्यायहित में अपीलार्थी द्वारा धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट द्वारा विवादित आराजी का कुछ हिस्सा क्रय किया एवं क्रयशुदा भूमि जो रेस्पों. के नाम दर्ज थी, वह आपसी सहमति से रास्ता स्वीकृत किया गया है। अपीलांट जिन पदचिन्हों पर चल कर आया है उसका अनुतोष तभी मिल सकता है कि उसके द्वारा क्रयशुदा भूमि की घोषणा अपने नाम से करवाए जिसके दो विकल्प है। प्रथम इसका नामान्तरणकरण अपने नाम करवाये। अगर कतिपय कारणों से बेचाननामे के आधार पर नामान्तरणकरण नहीं खोला जाता है तो विधिक विकल्प

16/5/16
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

घोषणात्मक दावा है जिसमें अपना हक हकूक निर्णित करवा अनुतोष हासिल कर सकता है। इस अपील में सिर्फ रास्ते को निरस्त करने का अनुतोष दिया जाना विधि अनुकूल नहीं है क्योंकि रास्ता तभी पिक्चर में आएगा जब उसकी कयशुदा भूमि उसके नाम हो जाएगी। साथ ही स्वीकृत रास्ते का अमल राजस्व रिकार्ड में हो चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का मूल आधार उसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होती है, तब तक चालू राजस्व रिकार्ड के आधार पर रास्ता स्वीकृत हुआ है उसमें हस्तक्षेप करना विधिसम्मत नहीं है। तदनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर